

राजस्थान सरकार  
वित्त विभाग  
(आय-व्यय अनुभाग)

प.4(236)वित्त-1(1)आ.व्यय/2010/

जयपुर, दिनांक: 19. 2. 2012

संबंधित कोषाधिकारी,  
राजस्थान।

(स्वीकृति संख्या- 648 / 2011-12)

विषय:- वित्तीय वर्ष 2011-12 में पंचायत समितियों के पी.डी. खातों में राशि का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ 139( )ले.व./चुंगी/अनु. आवंटन/11-12/5990-6000 दिनांक 13.02.2012 के साथ संलग्न सारणी एवं शर्तों के अनुसार राशि रु. 104.07 लाख (अक्षरे रु. एक करोड़ चार लाख सात हजार मात्र) निम्न बजट मद से प्रभार्य करते हुए संबंधित पंचायत समितियों के निजी निक्षेप खातों में उनके सम्मुख अंकितानुसार हस्तान्तरित कर दी जावे।

-:व्यय निम्नानुसार विकलेय है :-

मांग सं. 41

बजट मद

2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

198-ग्राम पंचायतों को सहायता

(02)-ग्राम पंचायतों को कर वसूली के एवज में अनुदान

[01]-संस्थापन

12-सहायतार्थ अनुदान (आयोजना भिन्न)


(संलग्न सारणी अनुसार)

रु. 104.07 लाख

इस संबंध में महालेखाकार को भुगतान विवरण पत्र के साथ भेजे जाने वाले वाउचर्स में संबंधित जिला परिषदों/पंचायत समितियों का नाम इस स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक भुगतान मद का विवरण एवं आयोजना भिन्न दर्शाते हुए अंकित किया जावे।

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जायेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

भवदीय




(सुधीर शर्मा)

शासन उप सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को 5 प्रतियों सहित।
2. प्रमुख शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज जयपुर।
3. उप शासन सचिव वित्त (व्यय-5) विभाग।
4. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सम्बन्धित।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सम्बन्धित।
6. एसीपी, वित्त (कम्प्यूटर शैल) विभाग, जयपुर।
7. लेखाकार, वित्त (बजट) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।



शासन उप सचिव, वित्त (बजट)